

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

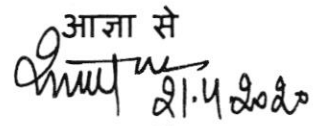
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1014 /2020 दिनांक 21.04.2020

श्रीमती संगीता शर्मा (RJ0065), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को दिनांक 26.03.2020 से 01.04.2020 तक 07 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 25.03.2020 एवं 02.04.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-03, अलवर/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर/अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, अलवर/अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, अलवर/विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, अलवर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/02/1993/ 2130

दिनांक 21.04.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 9854 दिनांक 03.04.2020 सन्दर्भ में।
3. श्रीमती संगीता शर्मा (RJ0065), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-03, अलवर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर।
6. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, अलवर।
7. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, अलवर।
8. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, अलवर।



सहायक रजिस्ट्रार